

# कार्यालय उप तहसीलदार(राजस्व) मुकलावा

मुकदमा नम्बर : 9

सन् : 2019

सरकार बनाम

~~कृष्णासिंह पुत्र श्री श्रीमती~~  
~~जाति पत्नीस्य निवासी 9m.k~~

## निर्णय


दिनांक:- 31/01/19

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित/उपस्थित नहीं अप्रार्थी को सुना गया। अप्रार्थी पर नोटिस की तामि हो चुकी है। बावजूद तामील के उपस्थित न होने के कारण अप्रार्थी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर हल्का अप्रार्थी ने चक 6P.5 के मु0न0 7162 किला नं0 — के कुल हैक्टे0 रकबा नहरी/बारानी राजकीय भूमि को फसल रेबी/खरीफ ख0सं0 2015 में अनाधिकृत काश्त कर राजकीय भूमि पर अतिचार किया है। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान कोलोनाईजेशन एक्ट 1954 की धारा 22 के तहत दण्डनीय है। अप्रार्थी के इस कृत्य के लिए उसे उक्त धारा के अन्तर्गत दण्डित किया जाना न्यायोचित है।

अतः मालगुजारी 8 प्रति हैक्टे0 — का तावान 50 गुणा राशि 410/- के दण्ड से दण्डित कर उक्त रकबे से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।  
उक्त भूमि की फसल निमासी हेतु एक फरद निमासी प्रस्तुत करने हेतु 142 को लिखा गया।

पटवारी हल्का की मतालबा ढालबाछ सम्बन्धित में कायम करने एवं तावान वसूल करने तथा उक्त रकबे से बेदखल कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेश जारी है। तहसील राजस्व लेखाकार के रजिस्टर 'घ' में मांग दर्ज कराई जावे। पत्रावली फैसलशुमार की जाती है। बाद तर्तीब तकमीन दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

  
उपतहसीलदार (राजस्व)  
मुकलावा